जवाब

SDO साहब की आज्ञा से

वकील उपस्थित / एस. डी. ओ. साहब दौरे पर / अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते .... दिनांक 5/7/18 को पेश हो।

5.4.18 पत्रावली पेश हुई। वकील साइल हाजिर। अप्रार्थी बावजूद सूचना के हाजिर नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई. हाजिर नहीं। हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस दिनांक 18.7.18 को पेश हो

(आशीष कुमार गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक अधिकारी कपासन
उपखण्ड अधिकारी ... (राज.)

15.5.18 पत्रावली वापस लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प सुरपुर में प्रस्तुत की। साइल हाजिर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। संलिप्त में [illegible] बरन प्रकार है कि मौजा सुरपुर की आराजी 423, 424, 425

(आशीष कुमार गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक अधिकारी कपासन
उपखण्ड ... (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	426, 427, 439, 440, 441, 442, 570 571, 572, 573 कुल कित्ता 13 कुल रकबा 2.42 हे. स्थित है। इसी प्रकार मौजा खुरखुर की मौरूसी आराजियात 1462/542 रकबा 0.78 हे. जो हाल रेकार्ड में हेमा, ध्यारा चुन्ना, जीतू पिता पन्ना चमार 1/2, डालू पिता भैय्या चमार 1/2 हिस्सा के खातेदारी में दर्ज है और इनमें से जीतू की मृत्यु हो चुकी है, उसके वारिस प्रति न. 1,2,3 रिकार्ड में दर्ज है तथा चुन्ना की भी मृत्यु हो गई व उसके वारिस गिरधारी ने अपना 1/8 हिस्सा दि 12.9.2006 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये विपक्षी व प्रति न. 5 कु. लक्ष्मी को विक्रय कर दिया जो उनके नाम पर दर्ज है, इसी प्रकार हेमाजी की भी दि 22.8.2011 को मृत्यु हो गई और उनके वारिस प्रार्थी अमरसिंह व मोहनलाल पुत्र है और इनमें से मोहनलाल की मृत्यु हो गई व उसकी वारिस श्रीमती उर्मिला पत्नी स्थित है इस प्रकार उक्त आराजी में प्रार्थी व विपक्षी के संयुक्त खातेदारी में मृतक हेमाजी का 1/8 हिस्सा दर्ज होना चाहिये। कि प्रार्थी के पिता हेमा ने अपनी मृत्यु के लगभग 2 वर्ष पूर्व वृद्धावस्था होने के उनकी दिमागी हालात ठीक नही रहती थी और उनको अच्छे भले बुरे का भी कुछ ध्यान नही रहता था और उनका नाजायज फायदा उठाकर किया	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
	प्रार्थी की जानकारी के चुपके से विपक्षी ने प्रा-प. की कॉलम न 3 मे वर्णित आराजियात 2.42 हे का 1/4 हिस्सा वसीयत रजिस्टर्ड विलेख दि 13.8.2010 को बिना अधिकार दिये अपने नाम पर पंजीयन करा लिया। विपक्षी जानकारी हाल मे निष्पादन का दावा करने के पश्चात हुई। अत: अस्थाई निषेधाज्ञा बावत प्रा०प० प्रस्तुत किया है। हमने प्रा०प० का अवलोकन किया। उक्त के सम्बन्ध गुण व अवगुण मे मूल वाद मे विस्तृत रूप से तथ्यात्मक कथन की प्रकार निर्णय लिया जायेगा। खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के पारित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है अत: प्रार्थना-पत्र स्वीकार पर [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] के रूप में हो। आदेश सुनाया गया। (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner